

प्रेषकं,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2025

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मेरठ में मल्टीलेवल कार पार्किंग की परियोजना हेतु द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-11/2023/1501/नौ-9-2023-01-ई-1668595, दिनांक 05.08.2023 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मेरठ में मल्टीलेवल कार पार्किंग की परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 4599.07 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 25 प्रतिशत के रूप में प्रथम किशत की धनराशि रू0 1149.7675 लाख कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रथम किशत हेतु 35 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के संशोधित कार्यालय जाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 के क्रम में शासनादेश संख्या-2069(2)/नौ-9-2023-002-ई-1668595 दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से उक्त परियोजना हेतु प्रथम किशत की अवशेष 10 प्रतिशत की धनराशि रू0 459.907 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त परियोजना हेतु अद्यतन कुल धनराशि रू0 1609.6745 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-3345/106/SSCM/2021-22, दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर द्वितीय किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम मेरठ में मल्टीलेवल कार पार्किंग की परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू0 4599.07 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में 35 प्रतिशत की धनराशि रू0 1609.6745 लाख (रूपया सोलह करोड़ नौ लाख सरसठ हजार चार सौ पचास मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, मेरठ को अंतरित/व्यय की जायेगी।
- (2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2025 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) उक्त शासनादेश संख्या-11/2023/1501/नौ-9-2023-01-ई-1668595, दिनांक 05.08.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1609.6745 लाख (रुपया सोलह करोड़ नौ लाख सरसठ हजार चार सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 के लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।


4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 वासिफ) 18.3.25
अनु सचिव।

संख्या- 89 /2025/493/नौ-9-2025-001-ई-1668595, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, मेरठ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, मेरठ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
9. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, मेरठ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ) 18.3.25
अनु सचिव।